



2026: AHC: 43744

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2840/2026

सुनील कुमार सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: आनंद कुमार पांडेय

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद कुमार पांडेय और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता को प्रारंभ में नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त किया गया था और उसके बाद, 01.07.2025 को उसे तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता के अनुसार, 10.07.2025 को उसका स्थानांतरण जनपद गोरखपुर से जनपद कुशीनगर कर दिया गया और 14.10.2025 को उसे उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित सीलिंग (सीमाबंदी) मामलों में पैरोकारी करने का दायित्व सौंपा गया। याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि एक अन्य व्यक्ति अभिषेक कुमार, जो नायब तहसीलदार है, उसे तहसीलदार का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। रिट याचिकाकर्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों—पी.के. चिन्नास्वामी बनाम तमिलनाडु सरकार (1987) 4 SCC 601 और कुलपति, एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय बनाम दयानंद झा (1986) 3 SCC 7—पर भरोसा करते हुए यह तर्क देता है कि याचिकाकर्ता एक 'पद स्थिति' (स्टेसस) का उपभोग करता

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है, और केवल इसलिए कि वेतनमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, याचिकाकर्ता से कनिष्ठ (जूनियर) व्यक्ति को लाभ प्रदान करना याचिकाकर्ता के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण होगा क्योंकि यह उसकी पद स्थिति के विरुद्ध है।

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह का तर्क है कि तैनाती और कार्य आवंटन के संबंध में पारित आदेश प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार दिए गए प्रशासनिक आदेश होते हैं और रिट याचिकाकर्ता इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि उसे कोई विशेष कार्य ही सौंपा जाए। हालांकि, उन्होंने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता के लिए उचित यह होगा कि वह प्रतिवादी संख्या 2, नियंत्रक/जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर के समक्ष अपनी बात रखे।
4. न्यायालय के समक्ष दी गई दलीलों पर विचार करते हुए, यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि रिट याचिकाकर्ता 13.03.2026 तक दूसरे प्रतिवादी, नियंत्रक/जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे। तत्पश्चात, दूसरा प्रतिवादी दो महीने की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेगा।

25 फरवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।